भारत की डिजिटल संप्रभुता खतरे में : भारत-यू.के. एफटीए पर एक गंभीर दृष्टिकोण

क्यों चर्चा में है?

- **भारत और यूनाइटेड किंगडम** ने हाल ही में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) पर वार्ता संपन्न की, जिसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने व्यापार समझौतों के लिए **"स्वर्ण मानक"** के रूप में सराहा।
- विदित है कि कृषि और श्रम-प्रधान निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुरक्षा दी गई है, पर विशेषज्ञों ने समझौते के अंतर्गत डिजिटल छूटों पर गंभीर चिंता जताई है, जो भारत की डिजिटल संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर सकती है।

डिजिटल संप्रभुता क्या है?

- डिजिटल संप्रभुता का मतलब है किसी देश की अपनी डिजिटल प्रणालियों को नियंत्रित और सुरक्षित करने की शक्ति — जैसे डेटा, सॉफ़्टवेयर और तकनीकी नेटवर्क।
- आज के डिजिटल युग में, डेटा एक कीमती संसाधन के रूप में है, जैसे कि तेल या पानी। इसलिए, इसे नियंत्रित करना देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत शामिल है:
  - डेटा का **सीमा पार संचार** (क्रॉस-बॉर्डर डेटा फ्लो) पर नियंत्रण
  - विदेशी तकनीकी कंपनियों से **उनके स्रोत कोड को साझा करवाना**
  - **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** (AI) का निर्माण और विनियमन
  - **डेटा का देश में ही संग्रहण** (डेटा लोकलाइजेशन)
- मुख्यत: भारत के लिए, जो वैश्विक डिजिटल नेता बनना चाहता है, अपनी डिजिटल स्पेस पर नियंत्रण रखना आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है।

मुख्य चिंताएँ: एफटीए में भारत ने क्या छोड़ा?

1. सॉफ़्टवेयर स्रोत कोड की जाँच करने की शक्ति का अभाव

- भारत सॉफ़्टवेयर का उपयोग शुरू होने से पहले उसके सुरक्षा और अनुपालन की जाँच करने के लिए उनके स्रोत कोड (सॉफ़्टवेयर के पीछे के मुख्य निर्देश) को देख सकता था। नए एफटीए के तहत, भारत केवल तब इसे (स्रोत कोड) एक्सेस कर सकता है जब कुछ गलत हो जाता है।
  यह बदलाव भारत की संवेदनशील सॉफ़्टवेयर क्षेत्रों, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, दूरसंचार, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नियमन की क्षमता को कम करता है।
- यहाँ तक कि अमेरिका ने भी अपनी नई व्यापार संधियों में ऐसे जोखिमपूर्ण खंडों को सुरक्षा चिंताओं के कारण हटा दिया है।
  उदाहरण: यदि अस्पताल में कोई ए.आई. सिस्टम गलत व्यवहार करता है, तो भारत पहले से स्रोत कोड की जांच नहीं कर सकता है, जिससे ऐसी विफलताओं को रोका जा सके।

2. यू.के. कंपनियों के लिए भारतीय सरकारी डेटा तक मुफ्त पहुँच

- एफटीए के तहत यू.के. कंपनियों को भारत के **ओपन गवर्नमेंट डेटा** तक समान पहुँच दी गई है।
- पहले यह डेटा केवल **सार्वजनिक आँकड़ों** तक सीमित था, लेकिन अब इसमें ऐसे मूल्यवान डिजिटल संसाधन शामिल हैं, जिनका उपयोग **ए.आई. मॉडल** को प्रशिक्षित करने में किया जाता है।
- यह कदम, हालांकि **अभी गैर-बाध्यकारी** है,पर भविष्य के समझौतों के लिए यह एक **खतरनाक उदाहरण** प्रस्तुत करता है।

खतरे:

- यह विदेशी कंपनियों को भारतीय डेटा का उपयोग करके शक्तिशाली ए.आई. बनाने में मदद करता है।
- इससे **"डेटा उपनिवेशवाद"** हो सकता है, जहाँ भारत डेटा प्रदान करता है और विदेशी कंपनियाँ इससे लाभ अर्जित करती हैं।
- यह सुरक्षा खतरों को उत्पन्न कर सकता है।

3. भविष्य में डेटा नियम बनाने की स्वतंत्रता का नुकसान

- भारत कुछ **डेटा लोकलाइजेशन अधिकारों** को बचाने में सफल रहा, लेकिन एफटीए में एक**"रैचेट क्लॉज"** (व्यापार समझौतों में एक नियम, जो एक बार किसी देश द्वारा दी गई उदारीकरण सुविधा को पलटने से रोकता है — भविष्य की नीतियाँ केवल और अधिक खुले रूप में हो सकती हैं, सख्त नहीं)।
- इसका मतलब है: यदि भारत भविष्य में किसी अन्य देश को डिजिटल छूट देता है, तो वही छूट यू.के. को स्वतः दी जाएगी।
- इससे भारत की **डिजिटल कानूनों को मजबूत बनाने** की क्षमता में कमी आएगी और भविष्य के वैश्विक समझौतों में इसकी स्थिति कमजोर हो सकती है।

नोट: यहां तक कि शक्तिशाली देश जैसे **अमेरिका** सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए, अब डेटा को देश में रखने का समर्थन करते हैं।

रणनीतिक निहितार्थ: यह क्यों महत्वपूर्ण है

- **डिजिटल व्यापार नियम** (जो यह निर्धारित करते हैं कि देश डिजिटल सेवाओं और डेटा का आदान-प्रदान कैसे करेंगे) आसानी से पलटने योग्य नहीं होते हैं — जैसे भौतिक वस्तुओं पर कर या शुल्क को बदलना।
- एक बार भारत वैश्विक डिजिटल प्रणाली में शामिल हो जाएगा, तो उसे उन नियमों द्वारा लंबे समय तक कानूनी रूप से बाध्य किया जाएगा।
- ये नियम दशकों तक वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे।

तो, भारत को यह चुनना होगा —

- क्या वह **नियम बनाने वाला** (वैश्विक डिजिटल व्यापार के नियमों को निर्धारित करना) बनेगा, या **नियम स्वीकार करने वाला** (दूसरों द्वारा बनाए गए नियमों को मानना) रहेगा?

यदि भारत कार्रवाई नहीं करता है, तो क्या होगा?

- यदि भारत एक मजबूत, एकीकृत डिजिटल रणनीति नहीं बनाता, तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है:
  - डिजिटल उपनिवेश बन सकता है (एक ऐसी स्थिति **जहाँ विदेशी कंपनियाँ किसी देश के डिजिटल संसाधनों, जैसे डेटा और तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म्स**, का नियंत्रण करती हैं या शोषण करती हैं)।
  - अपने डेटा और डिजिटल नवाचारों से आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने का अवसर खो सकता है। **साइबर सुरक्षा नियंत्रण खो** सकता है और विदेशी निगरानी या तकनीकी हेरफेर के लिए अधिक संवेदनशील हो सकता है।
  - वैश्विक डिजिटल वार्ताओं में **भौतिक** प्रभाव खो सकता है।

आगे का रास्ता: भारत के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करना

- भारत को अपनी डिजिटल स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्पष्टता और समन्वय के साथ कदम उठाने होंगे। यहां कुछ कदम उठाए जा सकते हैं:

1. राष्ट्रीय डिजिटल संप्रभुता नीति बनाना

- यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि कौन से डिजिटल अधिकार और सुरक्षा गैर-परक्राम्य हैं (जैसे डेटा स्वामित्व, गोपनीयता, स्रोत कोड की पहुँच)।
- यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रमुख मंत्रालय — वाणिज्य, आई.टी., रक्षा और विदेश मंत्रालय **एक सामान्य ढांचे के** तहत एक साथ काम कर रहे हों।

2. व्यापार वार्ताओं में प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को शामिल करना

- भारत की व्यापार वार्ताओं में अक्सर डिजिटल विशेषज्ञता की कमी होती है।
- टीमों में टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ, डिजिटल अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ, और साइबर सुरक्षा सलाहकारों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि रणनीतिक गलतियों से बचा जा सके।
- दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करने के लिए उच्च-स्तरीय राजनीतिक निगरानी आवश्यक है, ताकि संक्षिप्तकालिक व्यापार लाभों के लिए उन्हें समझौता न किया जाए।

3. डिजिटल औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना

- घरेलू डेटा केंद्रों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करें ताकि विदेशी निर्भरता कम हो सके।
- स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) सिस्टम्स को समर्थन दें और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें।
- डेटा लोकलाइजेशन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करें और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देशी प्लेटफ़ॉर्म्स को बढ़ावा दें।

4. रणनीतिक वैश्विक साझेदारियां बनाना

- समान विचार वाले देशों (जैसे ब्रिक्स और वैश्विक दक्षिण) के साथ सहयोग करें ताकिन्यायसंगत डिजिटल नियमविकसित किए जा सकें।
- वैश्विक शासन प्रणालियों के निर्माण की दिशा में काम करें जो राष्ट्रीय हितों का सम्मान करें और डिजिटल शोषण को रोकें।

निष्कर्ष

- व्यापार के माध्यम से आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दौड़ में, भारत को अपनी डिजिटल भविष्य की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। भारत-यू.के. एफटीए यह दिखाता है कि एक मजबूत डिजिटल नीति की अनुपस्थिति किस प्रकार रणनीतिक छूटों की ओर ले जा सकती है, जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जैसे-जैसे डिजिटल दुनिया शक्ति का नया क्षेत्र बनती जा रही है, भारत को उपनिवेश काल की गलती नहीं दोहरानी चाहिए, जिसमें

महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण छोड़ दिया गया था — इस बार यह संसाधन डेटा और एल्गोरिदम हैं।

UPSC MAINS PYQ

प्रश्न:

"डेटा लोकलाइजेशन पिछले कुछ वर्षों में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। भारत की डेटा लोकलाइजेशन पर स्थिति और वैश्विक डेटा प्रवाह के संदर्भ में इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करें।" (2023)

UPSC MAINS PRACTICE QUESTION

"डेटा नए तरह का तेल है, लेकिन बिना डेटा संप्रभुता के, यह एक खोया हुआ राष्ट्रीय संसाधन बन सकता है।" **डेटा लोकलाइजेशन** पर भारत की स्थिति और इसके निहितार्थों का मूल्यांकन करें, विशेष रूप से हाल ही में हुए एफटीए के संदर्भ में। (250 शब्दों में उत्तर दें)